उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 120/2011(जी.सी.एम.एस. 2011/00014)

वादी		प्रतिवादीगण
1. गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ओ, तहसील श्रीकरणपुर।	बनाम	1. अमरीक सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। 4. सरवन सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी मोकमवाला तहसील गंगानगर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 23.12.2011

उपस्थितः 1.श्री योगेश बंसल अधिवक्ता वादी
2.श्री अशोक कुमार जोशी प्रतिवादी संख्या 1
3.श्री सतीश अरोडा प्रतिवादी संख्या 4

––निर्णय––

दिनांकः 30.08.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 16/16 के मुरबा नम्बर 45, 48 की कुल 3.416 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 1.644 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1.645 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 94/84 के मुरबा नम्बर 45 की कुल 5.440 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अमरीक सिंह के नाम 3.255 हैक्टेयर रकबा बनता है। जिसमें उसका किला नम्बर 10 ता 22/1, 25/1 पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 के इस कब्जाशुदा रकबा में मुझ वादी का किला नम्बर 24 पडता है, जो दुसरे खाता में मुझ वादी के नाम दर्ज है। इस बात का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 मुझ वादी के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता है। वादी एक बुजुर्ग व्यक्ति है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है और मुझ वादी के किला नम्बर 24 पर कब्जा करने की फिराक में है। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 पर जबरदस्ती कब्जा करने से हमेशा के लिए निषेध रहे, अन्य कोई अनुतोष न्यायहित में हो तो वह भी दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। प्रार्थी सरवन सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश अरोडा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सरवन सिंह को बतौर प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का अंकन त्रुटिपूर्ण रूप से गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह व उसके पुत्र के नाम दर्ज हो गया है, जबकि वस्तुतः यह सरवण सिंह वल्द करनैल सिंह के नाम दर्ज था। सरवन सिंह द्वारा उक्त किला को किसी भी रूप में प्रार्थी अथवा किसी भी व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया था। यह किला राजस्व अभिलेख में सरवण सिंह के नाम अवश्य था। लेकिन इस भूमि पर कब्जा काश्त सदा ही मुझ अप्रार्थी के परिवार का ही रहा है। उक्त बीघा पर प्रतिवादी विगत 25 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि के सम्बन्ध में अब उसका अधिकार स्थापित हो चुका है। इस बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु मुझ प्रतिवादी द्वारा अलग से वादपत्र संस्थित किया हुआ है। अतः जवाब वादपत्र पेश कर अर्ज है कि वादपत्र भारी हर्जाना सहित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 2 ओ के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 नहरी मुझ प्रतिवादी संख्या 4 सरवण सिंह के नाम दर्ज था। उक्त खाता के शेष मुरब्बा नम्बर 47, 48 की भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि को जरिए पंजीकृत विलेख दिनांक 20.10.1981 से गुरदेव सिंह वादी एंव उसके पुत्र जलन्धर सिंह को विक्रय की थी, लेकिन मेरे उक्त खाता के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का बेचान मैने नहीं किया था और विक्रय उपरान्त इस खाता में मेरी 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि शेष रही। कालान्तर में मुझ प्रतिवादी द्वारा उक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का बेचान जीत सिंह आदि को कर दिया गया था। उक्त विक्रय का नामान्तरण दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी ने मुझ प्रतिवादी के शेष खातेदारी रकबा का अंकन सहवन से रह गया तथा उक्त त्रुटि तदोपरान्त बनने वाली जमाबन्दियों में निरन्तर होता आया तथा मौजूदा जमाबन्दी में भी यह रकबा त्रुटिपूर्ण रूप से वादी के खाते में दर्ज कर दिया गया। जबकि मुझ प्रतिवादी द्वारा मेरा उक्त रकबा मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का बेचान अथवा किसी भी रीति से अन्तरण वादी अथवा किसी अन्य को नहीं किया गया था। वस्तुत: यह रकबा मेरे ही खाता में दर्ज किया जाना न्यायसंगत व आवश्यक है। अत: जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे एंव काउन्टर क्लेम प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम सहपठित धारा 88 आरटीए स्वीकार कर चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24, खाता संख्या 16/16 में गुरदेव सिंह उर्फ मोना सिंह आदि के नाम कलमजन किया जाकर अलग खाता तकसीम कर मुझ प्रतिवादी के नाम संशोधित कर दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादी चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? -जिम्मे वादी-

(ii)आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 4, चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 में से वादी गुरदेव सिंह का नाम कलमजन किया जाकर अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है? -जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4-

(iii)अनुतोष।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 16/16 की प्रति, प्रदर्श-2 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 94/84 की प्रति प्रदर्शित करवाए व स्वंय वादी गुरदेव सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया, जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादी के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। वकील प्रतिवादी ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में प्रदर्श-डी 1 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2035 के खाता संख्या 60 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-डी 2 नामान्तरण संख्या 114 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-डी 3 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2039 के खाता संख्या 60 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-डी 4 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2060 के खाता संख्या 16/18 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-डी 5 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2056 के खाता संख्या 18/16 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-डी 6 नामान्तरण संख्या 373 की प्रमाणित प्रति व प्रतिवादी स्वंय सरवन सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। जो सामिल मिसल है। जिरह वकील वादी द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5.हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) : आया कि क्या वादी चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया है कि राजस्व ग्राम 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 94/84 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 5.440 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अमरीक सिंह के नाम 3.255 हैक्टेयर रकबा दर्ज है। जिसमें उसका किला नम्बर 10 ता 22/1, 25/1 पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 के इस कब्जाशुदा रकबा में मुझ वादी का किला नम्बर 24 पड़ता है, जो दूसरे खाता में मुझ वादी के नाम दर्ज है। इस बात का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 मुझ वादी के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाबदावा में कथन किया गया है कि चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का अंकन त्रुटिपूर्ण रूप से गुरदेव सिंह पुत्र [illegible] सिंह व उसके पुत्र के नाम दर्ज हो गया है, जबकि वस्तुतः यह सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज था। सरवन सिंह द्वारा उक्त किला को किसी भी रूप में प्रार्थी अथवा किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया था। यह किला राजस्व अभिलेख में सरवण सिंह के नाम अवश्य था। लेकिन इस भूमि पर कब्जा काश्त सदा ही मुझ अप्रार्थी के परिवार का ही रहा है। उक्त बीघा पर प्रतिवादी विगत 25 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि के सम्बन्ध में अब [illegible] अधिकार स्थापित हो चुका है।

प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम में कथन किया है कि चक 2 ओ के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 नहरी मुझ प्रतिवादी संख्या 4 सरवण सिंह के नाम दर्ज था। उक्त खाता के शेष मुरब्बा नम्बर 47, 48 की भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि को जरिए पंजीकृत विलेख दिनांक 20.10.1981 से गुरदेव सिंह वादी एवं उसके पुत्र जलन्धर सिंह को विक्रय की थी, लेकिन मेरे उक्त खाता के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का बेचान मैने नहीं किया था और विक्रय उपरान्त इस खाता में मेरी 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि शेष रही। कालान्तर में मुझ प्रतिवादी द्वारा उक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का बेचान जीत सिंह आदि को कर दिया गया था। उक्त विक्रय का नामान्तरण दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी ने मुझ प्रतिवादी के शेष खातेदारी रकबा का अंकन गलती से [illegible] उक्त त्रुटि तदोपरान्त बनने वाली जमाबन्दियों में निरन्तर होता आया तथा मौजूदा जमाबन्दी में भी यह रकबा त्रुटिपूर्ण रूप से वादी के खाते में दर्ज कर दिया गया। जबकि मुझ प्रतिवादी द्वारा उक्त रकबा मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का बेचान अथवा किसी भी रीति से हस्तान्तरण वादी अथवा किसी अन्य को नहीं किया गया था।

उपर्युक्त तनकी के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि साक्ष्यवादी में वादी के द्वारा दिए गए ब्यानो में स्वीकार किया गया है कि यह बात सही है कि सरवन सिंह के द्वारा मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का बेचान मुझे नहीं किया गया था। कस्टोडियन विभाग को मेरे द्वारा [illegible] के उपरांत मेरे नाम दर्ज किया गया है और कस्टोडियन विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति न्यायालय में मेरे द्वारा पेश नहीं की गई है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का इन्द्राज वादी के नाम किस आदेश से हुआ है। इसलिए चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। यह तनकी विरुद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 4, चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 16/16 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 में से वादी गुरदेव सिंह का नाम कलमजन किया जाकर अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 4 की थी। प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम में कथन किया गया है कि चक 2 ओ के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 नहरी मुझ प्रतिवादी संख्या 4 सरवण सिंह के नाम दर्ज था। उक्त खाता के शेष मुरब्बा नम्बर 47, 48 की भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि को जरिए पंजीकृत विलेख दिनांक 20.10.1981 से गुरदेव सिंह वादी एंव उसके पुत्र जलन्धर सिंह को विक्रय की थी, लेकिन मेरे उक्त खाता के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का बेचान मैने नहीं किया था और

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

विक्रय उपरान्त इस खाता में मेरी 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि शेष रही। कालान्तर में मुझ प्रतिवादी द्वारा उक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का बेचान जीत सिंह आदि को कर दिया गया था। उक्त विक्रय का नामान्तरण दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी ने मुझ प्रतिवादी के शेष खातेदारी रकबा का अंकन सहवन से रह गया तथा उक्त त्रुटि तदोपरान्त बनने वाली जमाबन्दियों में निरन्तर होता आया तथा मौजूदा जमाबन्दी में भी यह रकबा त्रुटिपूर्ण रूप से वादी के खाते में दर्ज कर दिया गया। जबकि मुझ प्रतिवादी द्वारा मेरा उक्त रकबा मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 का बेचान अथवा किसी भी रीति से अन्तरण वादी अथवा किसी अन्य को नहीं किया गया था। वस्तुतः यह रकबा मेरे ही खाता में दर्ज किया जाना न्यायसंगत व आवश्यक है।

उपर्युक्त तनकी के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि वादगत भूमि के संबध में एक वाद अनवान सरवन सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि प्रकरण संख्या 34/2016 अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। इस तनकी का निर्णय उक्त प्रकरण संख्या 34/2016 के अध्यधीन रखा जाना हम विधिसंगत समझते है।

(iii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 विरूद्व वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत नहीं समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 4 के काउन्टर क्लेम का निर्णय प्रकरण संख्या 34/2016, अनवान सरवन सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट के अध्यधीन रहेगा। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरदेव सिंह बनाम अमरीक सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 188 आरटीए

मुकदमा नम्बर 120/2011

निर्णय दिनांक :- 30.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री योगेश बंसल, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी, श्री सतीश अरोडा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 4 के काउन्टर क्लेम का निर्णय प्रकरण संख्या 34/2016, अनवान सरवन सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट के अध्यधीन रहेगा।

आज दिनांक 30.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	04	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**08**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते